2012:CGHC:9193

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकल पीठ: माननीय श्री न्यायाधीश राधे श्याम शर्मा

दांडिक अपील क्रमांक 756/2004

घनश्याम उर्फ पप्पू

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य

निर्णय

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दिनांक 05-12-2012 हेतु सूचीबद्ध करें।

सही/-
आर.एस. शर्मा
न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकल पीठ: माननीय श्री न्यायाधीश राधे श्याम शर्मा

दांडिक अपील क्रमांक 756/2004

अपीलार्थी : घनश्याम उर्फ पप्पू, पिता रामजी सिंह राजपूत, आयु लगभग 22 वर्ष, निवासी भरदाकला, थाना साजा, जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़)

बनाम

प्रत्यर्थी : छत्तीसगढ़ राज्य

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

उपस्थिति:

- **अपीलार्थी की ओर से** : श्रीमती फौज़िया मिर्ज़ा एवं श्रीमती स्मिता झा, अधिवक्ता।
- **राज्य/प्रत्यर्थी की ओर से** : श्री आर.आर. सिन्हा, पैनल अधिवक्ता।

दांडिक अपील अंतर्गत धारा 374(2) दंड प्रक्रिया संहिता

निर्णय

(दिनांक 5 दिसंबर, 2012 को उद्घोषित किया गया)

1. यह दाण्डिक अपील अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बेमेतरा, दुर्ग द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 46/2004 में पारित निर्णय दिनांक 13-08-2004 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। आक्षेपित निर्णय द्वारा, अभियुक्त/अपीलार्थी घनश्याम उर्फ पप्पू को भारतीय दंड संहिता की धारा 376(1) के अंतर्गत दोषसिद्ध किया गया है और 10 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 3,000/- रुपये के जुर्माना से दंडित किया गया है, जुर्माना का भुगतान करने में व्यतिक्रम किए जाने पर 6 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतने का आदेश दिया गया है, तथा सह-अभियुक्त रूपेश कुमार उर्फ गुड्डा को उसके विरुद्ध विरचित आरोपों से दोषमुक्त कर दिया गया है।

2. अभियोजन का मामला, संक्षेप में, इस प्रकार है कि:

दिनांक 13-01-2004 को, लगभग शाम 7:00 बजे, ग्राम भरदाकला में, अपीलार्थी ने दोषमुक्त किए गए अभियुक्त रूपेश कुमार उर्फ गुड्डा के साथ मिलकर अभियोक्त्री (अ.सा.-5) को बहलाया-फुसलाया; उसे कवर्धा स्थित महरूनिशा (अ.सा.-6, अपीलार्थी की बहन) के घर ले गया और अभियोक्त्री (अ.सा.-5) के साथ दो बार लैंगिक संभोग किया। नत्थूराम (अ.सा.-1, अभियोक्त्री के पिता) ने लिखित शिकायत (प्रदर्श-पी/1) प्रस्तुत किया और थाना साजा में प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्रदर्श-पी/2) दर्ज कराई। भारतीय दंड संहिता की धारा 363 और 366 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया। घटना के अगले दिन, लच्छीराम साहू (अ.सा.-2, अभियोक्त्री का भाई) अभियोक्त्री (अ.सा.-5) को लेकर वापस अपने घर आया और अपीलार्थी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अंतर्गत अपराध भी पंजीबद्ध किया गया। अभियोक्त्री (अ.सा.-5) को प्रदर्श-पी/16ए के माध्यम से चिकित्सीय परीक्षण हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, साजा भेजा गया। डॉ. श्रीमती उज्ज्वला देवांगन (अ.सा.-11) और डॉ. वंदना गुप्ता (अ.सा.-12) ने अभियोक्त्री (अ.सा.-5) का परीक्षण किया और क्रमशः प्रदर्श-पी/16 और पी-18 के माध्यम से अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। डॉ. श्रीमती उज्ज्वला देवांगन (अ.सा.-11) ने योनि स्वैब की दो स्लाइड तैयार कीं। अभियोक्त्री (अ.सा.-5) को एक्स-रे परीक्षण के लिए जिला अस्पताल दुर्ग भेजा गया और डॉ. एस.के. मांडगे (अ.सा.-15) ने एक्स-रे लिया और अपना प्रतिवेदन (प्रदर्श-पी/23) दिया, जिसमें उन्होंने राय दिया कि अभियोक्त्री (अ.सा.-5) की आयु 15 वर्ष थी।

आगे के अन्वेषण में, पटवारी तोमनलाल देवहारी (अ.सा.-14) द्वारा नज़री नक्शा (प्रदर्श-पी/3) तैयार किया गया। एक अन्य नज़री नक्शा (प्रदर्श-पी/7) उप-निरीक्षक के.पी.एस. पैकरा (अ.सा.-13) द्वारा तैयार किया गया। दाखिल-खारिज पंजी की छायाप्रति प्राप्त की गई। दोषमुक्त किए गए अभियुक्त रूपेश कुमार उर्फ गुड्डा का प्रकटीकरण कथन (प्रदर्श-पी/12) अभिलिखित किया गया और उसकी निशानदेही पर क्रमशः प्रदर्श-पी/13 और पी-14 के माध्यम से उससे स्कूटर और मोटरसाइकिल कावासाकी बॉक्सर ज़ब्त की गई। अभियोक्त्री (अ.सा.-5) की समीज और अंतर्वस्त्र प्रदर्श-पी/8 के माध्यम से अभियोक्त्री (अ.सा.-5) से ज़ब्त किए गए। अपीलार्थी का अंतर्वस्त्र भी प्रदर्श-पी/15 के माध्यम से ज़ब्त किया गया। अपीलार्थी घनश्याम को भी चिकित्सीय परीक्षण हेतु शासकीय

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्पताल, साजा भेजा गया। डॉ. सुनील सिंह (अ.सा.-16) ने उसका परीक्षण किया और अपना प्रतिवेदन (प्रदर्श-पी/20ए) दिया, जिसमें उन्होंने पाया कि अपीलार्थी लैंगिक संभोग करने में सक्षम था। प्रदर्श-पी/19 के माध्यम से स्लाइड ज़ब्त की गईं। ज़ब्तशुदा वस्तुओं को परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला, रायपुर भेजा गया। वहाँ से प्रतिवेदन (प्रदर्श-पी/27) प्राप्त हुआ।

अन्वेषण पूर्ण होने के पश्चात, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बेमेतरा के न्यायालय में अपीलार्थी और दोषमुक्त किए गए अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने मामले को सत्र न्यायालय, दुर्ग को उपार्पित कर दिया, जहाँ से यह अंतरण पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बेमेतरा को प्राप्त हुआ, जिन्होंने विचारण संपन्न किया और अपीलार्थी को उपरोक्त अनुसार दोषसिद्ध एवं दंडित किया तथा सह-अभियुक्त रूपेश कुमार उर्फ गुड्डा को दोषमुक्त कर दिया

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. अपने मामले के समर्थन में, अभियोजन ने नत्थूराम (अ.सा.-1, अभियोक्त्री के पिता), लच्छीराम साहू (अ.सा.-2, अभियोक्त्री का भाई), अल्ताफ खान (अ.सा.-3), सोहन साहू (अ.सा.-4), अभियोक्त्री (अ.सा.-5), मेहरूनिशा (अ.सा.-6), रवि कुमार सेन (अ.सा.-7), राजेश सिंह चंदेल (अ.सा.-8), मुनीराम (अ.सा.-9), फगलू राम (अ.सा.-10), डॉ. श्रीमती उज्ज्वला देवांगन (अ.सा.-11), डॉ. वंदना गुप्ता (अ.सा.-12), उप-निरीक्षक के.पी.एस. पैकरा (अ.सा.-13), पटवारी तोमनलाल देवहारी (अ.सा.-14), डॉ. एस.के. मांडगे (अ.सा.-15), डॉ. सुनील सिंह (अ.सा.-16) और प्रधान पाठक घनश्याम सिंह ठाकुर (अ.सा.-17) का परीक्षण कराया है।

4. अपीलार्थी की विद्वान अधिवक्ता श्रीमती फौज़िया मिर्ज़ा ने यह तर्क दिया कि घटना की तिथि पर अभियोक्त्री की आयु 16 वर्ष से अधिक थी। अभियोक्त्री (अ.सा.-5) की आयु से संबंधित अभियोजन द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज़ उनके द्वारा विधिवत प्रमाणित नहीं किए गए थे। उन्होंने आगे यह तर्क दिया कि चिकित्सीय साक्ष्य को देखते हुए, अभियोक्त्री (अ.सा.-5) लैंगिक संभोग के लिए सहमति देने वाली पक्षकार थी। अभियोक्त्री (अ.सा.-5) का साक्ष्य विश्वास उत्पन्न नहीं करता है। विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश का निष्कर्ष अपास्त किए जाने योग्य है और अपीलार्थी दोषमुक्ति का हकदार है। उन्होंने ***सतपाल सिंह बनाम हरियाणा राज्य, (2010) 8 एस.सी.सी. 714 और अलमेलु एवं अन्य बनाम राज्य, द्वारा पुलिस निरीक्षक, (2011) 2 एस.सी.सी. 385*** का अवलंब लिया हैं ।

5. राज्य/प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान पैनल अधिवक्ता श्री आर.आर. सिन्हा ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया कि विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा दी गई दोषसिद्धि और दंडादेश में इस न्यायालय द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

6. पक्षकारों के परस्पर विरोधी तर्कों को विस्तार से सुनने के पश्चात, मैंने सत्र प्रकरण क्रमांक 46/2004 के अभिलेख का अवलोकन किया है।

7. अब, मैं इस बात का परीक्षण करूँगा कि क्या घटना की तिथि पर अभियोक्त्री (अ.सा.-5) की आयु 16 वर्ष से कम थी या नहीं?

8. पीड़िता की आयु प्रमाणित करने के लिए उसके माता-पिता का साक्ष्य महत्वपूर्ण होता है। वर्तमान मामले में, न्यायालीन साक्ष्य के समय अभियोक्त्री (अ.सा.-5) ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि उसकी आयु 14 वर्ष थी और उसकी जन्म तिथि 11 अक्टूबर, 1988 है। नत्थूराम (अ.सा.-1), जो अभियोक्त्री (अ.सा.-5) के पिता हैं, ने अभिसाक्ष्य दिया कि घटना के समय अभियोक्त्री (अ.सा.-5) की आयु 14 वर्ष थी। लच्छीराम साहू (अ.सा.-2) ने भी यह अभिसाक्ष्य दिया कि घटना की तिथि पर अभियोक्त्री (अ.सा.-5) की आयु 14 वर्ष थी।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

9. नत्थूराम (अ.सा.-1) ने विशिष्ट रूप से यह अभिसाक्ष्य दिया कि अभियोक्त्री (अ.सा.-5) की आयु 14 वर्ष थी और अपीलार्थी द्वारा अभियोक्त्री (अ.सा.-5) की आयु के संबंध में उनसे एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया। लच्छीराम साहू (अ.सा.-2) ने प्रतिपरीक्षण के कण्डिका-11 में अभिसाक्ष्य दिया कि उसके सबसे छोटे भाई की आयु 12 वर्ष थी और अभियोक्त्री (अ.सा.-5) उसके सबसे छोटे भाई से दो वर्ष बड़ी थी। उसने आगे यह अभिसाक्ष्य दिया कि घटना के समय अभियोक्त्री (अ.सा.-5) भरदाकला मिडिल स्कूल में 8वीं कक्षा में पढ़ रही थी।

10. डॉ. श्रीमती उज्ज्वला देवांगन (अ.सा.-11) और डॉ. वंदना गुप्ता (अ.सा.-12) ने भी अपना प्रतिवेदन क्रमशः प्रदर्श-पी/16 और पी-18 में उल्लेख किया कि परीक्षण किए जाने की तिथि पर अभियोक्त्री (अ.सा.-5) की आयु 14 वर्ष थी। डॉ. एस.के. मांडगे (अ.सा.-15) ने अभिसाक्ष्य दिया कि उन्होंने अभियोक्त्री (अ.सा.-5) की कलाई, कोहनी और रेडियस अल्ना का एक्स-रे लिया था और पाया कि उसकी आयु 15 वर्ष से कम थी।

11. घनश्याम सिंह ठाकुर (अ.सा.-17) ने अभिसाक्ष्य दिया कि वह मिडिल स्कूल, भरदाकला में प्रधान पाठक के पद पर पदस्थ थे। उन्होंने आगे अभिसाक्ष्य दिया कि वह उक्त विद्यालय का मूल दाखिल-खारिज रजिस्टर लेकर आए थे। उक्त रजिस्टर वर्ष 1998 से संधारित किया

जा रहा था। रजिस्टर के पृष्ठ क्रमांक-1, सरल क्रमांक-75 पर अभियोक्त्री (अ.सा.-5) की जन्म तिथि 11-10-1988 अंकित है। दाखिल-खारिज पंजी की प्रमाणित प्रति मामले में प्रस्तुत की गई है जो प्रदर्श-पी/25सी है। घनश्याम सिंह ठाकुर (अ.सा.-17) के साक्ष्य और प्रदर्श-पी/25सी को देखने पर यह प्रतीत होता है कि अभियोक्त्री (अ.सा.-5) की जन्म तिथि 11-10-1988 है।

12. माननीय उच्चतम न्यायालय ने ***अलमेलु एवं अन्य बनाम राज्य, प्रतिनिधि- पुलिस निरीक्षक, ए.आई.आर. 2011 एस.सी. 715*** के मामले में, इस प्रकार अवधारित किया :

> "38. .... स्थानांतरण प्रमाण पत्र एक शासकीय स्कूल द्वारा जारी किया गया है और प्रधान पाठक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित है। इसलिए, यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 के अंतर्गत साक्ष्य में ग्राह्य होगा। हालांकि, उस आधारभूत सामग्री के अभाव में जिसके आधार पर आयु दर्ज की गई थी, ऐसे दस्तावेज़ की ग्राह्यता लड़की की आयु प्रमाणित करने के लिए अधिक साक्षिक मूल्य की नहीं होगी। स्थानांतरण प्रमाण पत्र में उल्लिखित जन्म तिथि का तब तक कोई साक्षिक मूल्य नहीं होगा जब तक कि उस व्यक्ति का परीक्षण न किया जाए जिसने प्रविष्टि की थी या जिसने जन्म तिथि लिखवाई थी......"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. ***माननीय उच्चतम न्यायालय ने छत्तीसगढ़ राज्य बनाम लेखराम, (2006) 5 एस.सी.सी. 736*** के मामले में, इस प्रकार अवधारित किया:

> "साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 के निबंधनों के अनुसार, किसी विद्यालय में संधारित रजिस्टर संबंधित व्यक्ति की जन्म तिथि प्रमाणित करने के लिए साक्ष्य में ग्राह्य है। ऐसी जन्म तिथियाँ विद्यालय के रजिस्टर में प्राधिकारियों द्वारा अपने लोक कर्तव्य के निर्वहन में दर्ज की जाती हैं। यह सत्य हो सकता है कि विद्यालय के रजिस्टर में की गई प्रविष्टि निश्चायक नहीं होती, परंतु इसका साक्षिक मूल्य होता है। इस मामले में विद्यालय के रजिस्टर के ऐसे साक्षिक मूल्य की संपुष्टि मौखिक साक्ष्य द्वारा होती है, क्योंकि इसे अभियोक्त्री की माता के कथन के आधार पर दर्ज किया गया था।"

14. माननीय उच्चतम न्यायालय ने ***शेखरा बनाम कर्नाटक राज्य, (2009) 14 एस.सी.सी. 76*** के मामले में, निम्नानुसार अवधारित किया:

"6. यह ध्यान देने योग्य है कि अ.सा. 1 ने स्थानांतरण प्रमाण पत्र (प्रदर्श-पी/9) प्रस्तुत किया था और यह कहा है कि यह पीड़िता से संबंधित है और उसका नाम प्रमाण पत्र में दर्ज किया गया है। उनके प्रतिपरीक्षण में ऐसा कुछ भी नहीं निकलवाया जा सका जिससे उनके इस साक्ष्य को खारिज किया जा सके कि प्रदर्श-पी/9 पीड़िता, अर्थात् अ.सा. 1 की पुत्री से संबंधित है। अ.सा. 12 ने स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी किया था और अपने साक्ष्य में यह भी बताया कि वह संबंधित विद्यालय में प्रधान पाठक के रूप में कार्यरत थे। उन्हें याद था कि उन्होंने उसे (अ.सा. 1 को) तब देखा था जब वह अपने बच्चों के लिए स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करने आई थी और उन्होंने उसे स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी किया था और वह प्रदर्श-पी/9, स्थानांतरण प्रमाण पत्र उन्हीं के द्वारा जारी किया गया था। इस पर प्रधान पाठक के हस्ताक्षर भी हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कथन किया है कि प्रदर्श-पी/9 प्रवेश पंजी में की गई प्रविष्टियों के आधार पर जारी किया गया था और प्रदर्श-पी/10(ए) वह सुसंगत प्रविष्टि है जिसके आधार पर प्रदर्श-पी/9 जारी किया गया था।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. माननीय उच्चतम न्यायालय ने ***अर्जुन सिंह बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य, 2009 Cri.L.J. 1332 (एस.सी.)*** के मामले में, निम्नानुसार अवधारित किया:

"7. ***छत्तीसगढ़ राज्य बनाम लेखराम [2006 (5) एस.सी.सी. 736]*** में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (संक्षेप में 'साक्ष्य अधिनियम') की धारा 35 के निबंधनों के अनुसार, किसी विद्यालय में संधारित रजिस्टर संबंधित व्यक्ति की जन्म तिथि प्रमाणित करने के लिए ग्राह्य साक्ष्य है। यह सत्य हो सकता है कि विद्यालय के रजिस्टर की प्रविष्टि निश्चायक नहीं होती, परंतु इसका साक्षिक मूल्य होता है।"

16. वर्तमान मामले में, घनश्याम सिंह ठाकुर (अ.सा.-17), जो विद्यालय के प्रधान पाठक थे और जिन्होंने दाखिल-खारिज पंजी में प्रविष्टि की थी, उनका अभियोजन द्वारा परीक्षण कराया गया। घनश्याम सिंह ठाकुर (अ.सा.-17) ने विशिष्ट रूप से यह अभिसाक्ष्य दिया कि अभियोक्त्री (अ.सा.-5) की जन्म तिथि स्थानांतरण प्रमाण पत्र के आधार पर दाखिल-खारिज पंजी में दर्ज की गई थी। नत्थूराम (अ.सा.-1) और लच्छीराम साहू (अ.सा.-2) ने अभिसाक्ष्य दिया कि अभियोक्त्री (अ.सा.-5) की आयु 14 वर्ष थी। अत:, नत्थूराम (अ.सा.-

1) और लच्छीराम साहू (अ.सा.-2) के साक्ष्य विश्वसनीय हैं। डॉ. एस.ए. मांडगे (अ.सा.-15) ने अभिसाक्ष्य दिया कि एक्स-रे प्रतिवेदन के आधार पर उन्होंने पाया कि अभियोक्त्री (अ.सा.-5) की आयु 15 वर्ष थी। अतः, चिकित्सीय साक्ष्य से भी यह स्थापित होता है कि अभियोक्त्री (अ.सा.-5) की आयु 15 वर्ष से कम थी। अभियोक्त्री (अ.सा.-5) की जन्म तिथि 11-10-1988 है। घटना की तिथि 13-01-2004 थी। इससे यह प्रकट होता है कि घटना की तिथि पर अभियोक्त्री (अ.सा.-5) की आयु 16 वर्ष से कम थी

17. अब, मैं इस बात का परीक्षण करूँगा कि क्या अपीलार्थी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अंतर्गत अपराध बनता है या नहीं?

18. अभियोक्त्री (अ.सा.-5) ने अभिसाक्ष्य दिया कि दिनांक 13-01-2004 को, लगभग शाम 6:45 बजे, वह अपने चाचा जगदीश के घर से वापस अपने घर लौट रही थी। अपीलार्थी उसे मिला और उसे पकड़ लिया तथा जबरन स्कूटर पर बैठाकर साजा ले गया। अपीलार्थी ने साजा में स्कूटर छोड़ दिया और बॉक्सर मोटरसाइकिल ले ली। वह अभियोक्त्री (अ.सा.-5) को कवर्धा ले गया। वह अभियोक्त्री (अ.सा.-5) को कवर्धा स्थित अपनी बहन के घर ले गया। उसने अपनी बहन के घर पर उसके साथ दो बार लैंगिक संभोग किया।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

19. माननीय उच्चतम न्यायालय ने ***विजय उर्फ चीनी बनाम मध्य प्रदेश राज्य, (2010) 8 एस.सी.सी. 191*** के मामले में, इस प्रकार अवधारित किया:

> "9. ***महाराष्ट्र राज्य बनाम चंद्रप्रकाश केवलचंद जैन, (1990) 1 एस.सी.सी. 550*** में, इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि एक महिला, जो यौन उत्पीड़न की पीड़िता है, वह अपराध में कोई सह-अपराधी नहीं है, बल्कि दूसरे व्यक्ति की वासना की शिकार है और इसलिए, उसके साक्ष्य का उसी संदेह के साथ परीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है जैसा कि एक सह-अपराधी के मामले में किया जाता है। न्यायालय ने निम्नानुसार अवधारित किया: (एस.सी.सी. पृष्ठ 559, कण्डिका- 16)"
>
> > "16. किसी यौन अपराध की अभियोक्त्री को एक सह-अपराधी के समान नहीं माना जा सकता। वह वास्तव में अपराध की पीड़िता है। साक्ष्य अधिनियम कहीं भी यह नहीं कहता कि उसका साक्ष्य तब तक स्वीकार नहीं किया जा सकता जब तक कि महत्वपूर्ण विवरणों में उसकी संपुष्टि न हो जाए। वह धारा 118 के अंतर्गत निस्संदेह एक

सक्षम साक्षी है और उसके साक्ष्य को वही महत्व दिया जाना चाहिए जो शारीरिक हिंसा के मामलों में किसी आहत व्यक्ति के साक्ष्य को दिया जाता है। उसके साक्ष्य के मूल्यांकन में सावधानी और सतर्कता की उतनी ही मात्रा होनी चाहिए जितनी किसी आहत शिकायतकर्ता या साक्षी के मामले में होती है, उससे अधिक नहीं। आवश्यक यह है कि न्यायालय को इस तथ्य के प्रति सचेत और जागरूक रहना चाहिए कि वह एक ऐसे व्यक्ति के साक्ष्य पर विचार कर रहा है जो उसके द्वारा लगाए गए आरोप के परिणाम में हितबद्ध है। यदि न्यायालय इसे ध्यान में रखता है और संतुष्ट महसूस करता है कि वह अभियोक्त्री के साक्ष्य पर कार्यवाही कर सकता है, तो साक्ष्य अधिनियम में धारा 114 के दृष्टांत (ख) जैसी विधि या पद्धति का ऐसा कोई नियम शामिल नहीं है, जो संपुष्टि की तलाश करना आवश्यक बनाता हो। यदि किसी कारणवश न्यायालय अभियोक्त्री के अभिकथन पर पूर्ण विश्वास करने में संकोच करता है, तो वह ऐसे साक्ष्य की तलाश कर सकता है जो उसके अभिकथन को संपुष्टि प्रदान कर सके, जो कि एक सह-अपराधी के मामले में आवश्यक संपुष्टि से कम स्तर का हो सकता है। अभियोक्त्री के अभिकथन को संपुष्टि प्रदान करने के लिए आवश्यक साक्ष्य की प्रकृति अनिवार्य रूप से प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगी। परंतु यदि अभियोक्त्री वयस्क है और पूर्ण समझ रखती है, तो न्यायालय उसके साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि करने का हकदार है, जब तक कि वह साक्ष्य कमजोर और अविश्वसनीय न पाया जाए। यदि मामले के अभिलेख पर प्रकट होने वाली संपूर्ण परिस्थितियाँ यह दर्शाती हैं कि अभियोक्त्री के पास आरोपित व्यक्ति को झूठा फँसाने का कोई प्रबल हेतुक नहीं है, तो न्यायालय को सामान्यतः उसका साक्ष्य स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. ***उत्तर प्रदेश राज्य बनाम पप्पू, (2005) 3 एस.सी.सी. 594 के मामले में***, इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि यहाँ तक कि ऐसे मामले में भी जहाँ यह दर्शाया गया हो कि लड़की व्यभिचारिणी है या लैंगिक संभोग की अभ्यस्त है, यह अभियुक्त को बलात्कार के आरोप से दोषमुक्त करने का

आधार नहीं हो सकता। यह स्थापित किया जाना आवश्यक है कि उस विशिष्ट अवसर के लिए उसकी सहमति थी। अभियोक्त्री पर चोट के निशान न होना ऐसा कारक नहीं हो सकता जो न्यायालय को अभियुक्त को दोषमुक्त करने के लिए प्रेरित करे। न्यायालय ने आगे यह अभिनिर्धारित किया कि एकमात्र अभियोक्त्री के अभिकथन के आधार पर दोषसिद्धि की जा सकती है और यदि न्यायालय अभियोक्त्री के कथन से संतुष्ट नहीं है, तो वह अन्य प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य साक्ष्य की तलाश कर सकता है, जिससे उसके अभिकथन को संपुष्टि प्राप्त हो सके। न्यायालय ने निम्नानुसार अवधारित किया: (एस.सी.सी. पृष्ठ 597, कण्डिका- 12)।

> "12. यह सुस्थापित है कि बलात्कार के अपराध की पीड़िता होने की शिकायत करने वाली अभियोक्त्री, अपराध के पश्चात कोई सह-अपराधी नहीं होती है। विधि का ऐसा कोई नियम नहीं है कि उसके अभिकथन पर तब तक कार्यवाही नहीं की जा सकती जब तक कि महत्वपूर्ण विशिष्टियों से उसकी संपुष्टि न हो जाए। वह एक आहत साक्षी की तुलना में उच्चतर पायदान पर खड़ी होती है। आहत साक्षी के मामले में चोट केवल शारीरिक स्वरूप पर होती है, जबकि अभियोक्त्री के मामले में यह शारीरिक होने के साथ-साथ मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक भी होती है। तथापि, यदि तथ्यों का निर्धारण करने वाला न्यायालय अभियोक्त्री के कथन को अक्षरश: स्वीकार करना कठिन पाता है, तो वह ऐसे प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य साक्ष्य की खोज कर सकता है, जो उसके अभिकथन को संपुष्टि प्रदान करे। ऐसी संपुष्टि, जो सह-अपराधी के संदर्भ में अपेक्षित 'संपुष्टि' के स्तर से कम हो, पर्याप्त होगी।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. ***पंजाब राज्य बनाम गुरमीत सिंह, (1996) 2 एस.सी.सी. 384*** में, इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ आदि से संबंधित मामलों में, न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह ऐसे मामलों को अत्यंत संवेदनशीलता के साथ निपटाए। अभियोक्त्री के कथन में मामूली विरोधाभासों या महत्वहीन विसंगतियों को एक अन्यथा विश्वसनीय अभियोजन मामले को अमान्य करने का आधार नहीं बनाया जाना चाहिए। यौन हमले की पीड़िता का

साक्ष्य दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त है और इसके लिए किसी संपुष्टि की आवश्यकता नहीं होती, जब तक कि संपुष्टि चाहने के लिए कोई बाध्यकारी कारण न हों। न्यायालय अपनी न्यायिक अंतरात्मा की संतुष्टि के लिए उसके कथन में कुछ संपुष्टि की तलाश कर सकता है। अभियोक्त्री का कथन एक आहत साक्षी की तुलना में अधिक विश्वसनीय है क्योंकि वह सह-अपराधी नहीं है। न्यायालय ने आगे यह अभिनिर्धारित किया कि यौन अपराध में प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज करने में हुए विलंब का भले ही उचित स्पष्टीकरण न दिया गया हो, परंतु यदि वह स्वाभाविक पाया जाता है, तो अभियुक्त को उसका कोई लाभ नहीं दिया जा सकता। न्यायालय ने निम्नानुसार अवधारित किया: (एस.सी.सी. पृष्ठ 394-96 एवं 403, कण्डिका- 8 एवं 21)

> "8. ... न्यायालय ने उस स्थिति की अनदेखी की जिसमें एक गरीब असहाय अवयस्क लड़की ने स्वयं को तीन दुस्साहसी युवकों की संगति में पाया था, जो उसे धमका रहे थे और उसे शोर मचाने से रोक रहे थे। पुनश्च, यदि अन्वेषण अधिकारी ने अन्वेषण उचित तरीके से नहीं किया या चालक या कार का पता लगाने में सक्षम न होने के कारण लापरवाह था, तो वह अभियोक्त्री के अभिकथन पर अविश्वास करने का आधार कैसे बन सकता है? अन्वेषण एजेंसी पर अभियोक्त्री का कोई नियंत्रण नहीं था और एक अन्वेषण अधिकारी की लापरवाही अभियोक्त्री के कथन की विश्वसनीयता को प्रभावित नहीं कर सकती। साक्ष्य का मूल्यांकन करते समय न्यायालयों को इस तथ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए कि बलात्कार के मामले में, कोई भी आत्म-सम्मानित महिला केवल अपने सम्मान के विरुद्ध ऐसा अपमानजनक बयान देने के लिए न्यायालय के समक्ष नहीं आएगी, जैसा कि उसके साथ बलात्कार होने की स्थिति में शामिल होता है। "यौन उत्पीड़न से जुड़े मामलों में, ऐसे कल्पित विचार जिनका अभियोजन पक्ष के मामले की सत्यता पर कोई तात्त्विक प्रभाव नहीं पड़ता, या अभियोक्त्री के कथन में विसंगतियाँ भी, जब तक कि वे विसंगतियाँ ऐसी न हों जो घातक प्रकृति की हों, एक अन्यथा विश्वसनीय अभियोजन मामले को खारिज करने के लिए अनुमत नहीं की जानी चाहिए। ...ऐसे मामलों में अभियोक्त्री के कथन पर

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

भरोसा करने से पहले, नियम के रूप में, उसकी संपुष्टि की तलाश करना 'जले पर नमक छिड़कने' के समान है। अभियोक्त्री के अभिकथन पर न्यायिक विश्वास के लिए एक शर्त के रूप में 'संपुष्टि' का होना विधि की आवश्यकता नहीं है, बल्कि दी गई परिस्थितियों में केवल विवेक का मार्गदर्शन है।" ....

"21. .... न्यायालयों को मामले की व्यापक संभावनाओं का परीक्षण करना चाहिए और अभियोक्त्री के कथन में मामूली विरोधाभासों या महत्वहीन विसंगतियों, जो घातक प्रकृति की नहीं हैं, से प्रभावित होकर एक अन्यथा विश्वसनीय अभियोजन मामले को अमान्य नहीं करना चाहिए। यदि अभियोक्त्री का साक्ष्य विश्वास उत्पन्न करता है, तो महत्वपूर्ण विशिष्टियों में उसके कथन की संपुष्टि मांगे बिना उस पर भरोसा किया जाना चाहिए। यदि किसी कारणवश न्यायालय को उसके अभिकथन पर पूर्ण विश्वास करना कठिन लगता है, तो वह ऐसे साक्ष्य की तलाश कर सकता है जो उसके अभिकथन को संपुष्टि प्रदान कर सके, जो कि एक सह-अपराधी के मामले में अपेक्षित संपुष्टि से कम स्तर का हो सकता है। अभियोक्त्री के अभिकथन का मूल्यांकन संपूर्ण मामले की पृष्ठभूमि में किया जाना चाहिए और विचारण न्यायालय को अपनी जिम्मेदारी के प्रति सचेत रहना चाहिए तथा यौन उत्पीड़न से संबंधित मामलों की सुनवाई करते समय संवेदनशील होना चाहिए।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. ***उड़ीसा राज्य बनाम ठाकरा बेसरा, (2002) 9 एस.सी.सी. 86*** के मामले में, इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि बलात्कार केवल एक शारीरिक हमला मात्र नहीं है, बल्कि यह अक्सर पीड़िता के संपूर्ण व्यक्तित्व को विचलित कर देता है। बलात्कारी, असहाय महिला की आत्मा तक को अपमानित/कलंकित कर देता है और इसलिए, अभियोक्त्री के अभिकथन का मूल्यांकन संपूर्ण मामले की पृष्ठभूमि में किया जाना चाहिए। ऐसे मामलों में, अन्य साक्षियों का परीक्षण न किया जाना भी अभियोजन के मामले में कोई गंभीर दोष नहीं हो सकता, विशेष रूप से वहाँ जहाँ साक्षियों ने अपराध कारित होते हुए न देखा हो।

13. ***हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम रघुबीर सिंह, (1993) 2 एस.सी.सी. 622*** के मामले में, इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि दोषसिद्धि का आदेश अभिलिखित करने से पूर्व अभियोक्त्री के साक्ष्य की संपुष्टि के लिए किसी अन्य साक्ष्य की तलाश करने की कोई विधिक बाध्यता नहीं है। साक्ष्य का मूल्यांकन किया जाना चाहिए, न कि गिना जाना चाहिए। यदि अभियोक्त्री का साक्ष्य विश्वास उत्पन्न करता है और ऐसी परिस्थितियों का अभाव है जो उसकी सत्यता के प्रतिकूल हों, तो उसके एकमात्र अभिकथन के आधार पर दोषसिद्धि दर्ज की जा सकती है। इसी तरह का विचार इस न्यायालय द्वारा ***वाहिद खान बनाम मध्य प्रदेश राज्य, (2010) 2 एस.सी.सी. 9 में, रामेश्वर बनाम राजस्थान राज्य, ए.आई.आर. 1952 एस.सी. 54*** के पूर्व निर्णय पर अवलंब लेते हुए दोहराया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. अभियोक्त्री (अ.सा.-5) ने अभिसाक्ष्य दिया कि उसे चिकित्सीय परीक्षण के लिए भेजा गया था। डॉ. श्रीमती उज्ज्वला देवांगन (अ.सा.-11) और डॉ. वंदना गुप्ता (अ.सा.-12) ने अभिसाक्ष्य दिया कि उन्होंने अभियोक्त्री (अ.सा.-5) का परीक्षण किया था। उन्होंने आगे अभिसाक्ष्य दिया कि अभियोक्त्री (अ.सा.-5) की योनिच्छद फटी हुआ थी और योनि में कोमलता और लालिमा मौजूद थी। डॉ. श्रीमती उज्ज्वला देवांगन (अ.सा.-11) ने अभिसाक्ष्य दिया कि उन्होंने योनि स्वाब की दो स्लाइडें तैयार की थीं। विधि विज्ञान प्रयोगशाला, रायपुर से प्रतिवेदन (प्रदर्श-पी/27) प्राप्त हुआ थी। प्रतिवेदन (प्रदर्श-पी/27) में यह उल्लेख किया गया है कि वस्तु 'बी'-जाँघिया और वस्तु 'सी-1' से 'सी-3' तक, अर्थात् अभियोक्त्री (अ.सा.-5) के योनि स्वाब की स्लाइडें, मानव शुक्राणु से सनी हुआ पाई गईं। अभियोक्त्री (अ.सा.-5) का साक्ष्य विश्वसनीय और अकाट्य है और अभियोक्त्री (अ.सा.-5) के साक्ष्य तथा विधि विज्ञान प्रयोगशाला प्रतिवेदन (प्रदर्श-पी/27) को देखने पर यह स्थापित होता है कि अपीलार्थी ने अभियोक्त्री (अ.सा.-5) के साथ लैंगिक संभोग किया था।

21. अभियोक्त्री (अ.सा.-5) के साक्ष्य, चिकित्सीय साक्ष्य और विधि विज्ञान प्रयोगशाला प्रतिवेदन (प्रदर्श-पी/27) के अवलोकन मात्र से यह स्थापित होता है कि अभियोक्त्री (अ.सा.-5) के साथ लैंगिक संभोग किया गया था। अभियोक्त्री (अ.सा.-5) का साक्ष्य अकाट्य और विश्वसनीय है। अभियोक्त्री (अ.सा.-5) के साक्ष्य को देखते हुए, यह स्थापित

होता है कि अपीलार्थी ने अभियोक्त्री (अ.सा.-5) के साथ लैंगिक संभोग किया था। यह भी स्थापित होता है कि अभियोक्त्री (अ.सा.-5) के साथ लैंगिक संभोग उसकी सहमति से किया गया था। अतः, वह लैंगिक संभोग के लिए सहमति देने वाली पक्षकार थी। चूँकि घटना की तिथि पर अभियोक्त्री (अ.सा.-5) की आयु 16 वर्ष से कम थी, इसलिए उसकी सहमति प्रभावहीन और महत्त्वहीन थी।

22. जहाँ तक दंडादेश का संबंध है, विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अभियोक्त्री (अ.सा.-5) के साक्ष्य को देखते हुए, यह प्रतीत होता है कि अभियोक्त्री (अ.सा.-5) स्वेच्छा से अपीलार्थी के साथ गई थी और उसकी आयु लगभग 15 वर्ष थी। भारतीय दंड संहिता की धारा 376(1) के अंतर्गत अपराध के लिए न्यूनतम 7 वर्ष का कारावास विहित है।

23. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 376(1) के अंतर्गत अधिरोपित किया गया कारावास का दंडादेश कठोर है। मेरा यह मत है कि यदि अपीलार्थी को केवल 7 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया जाता है, तो न्याय के उद्देश्य पूरे हो जाएँगे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

24 परिणामतः, यह अपील अंशतः स्वीकार की जाती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 376(1) के अंतर्गत अपीलार्थी की दोषसिद्धि की अभिपुष्टि की जाती है, तथापि, उस पर अधिरोपित 10 वर्ष के सश्रम कारावास के दंडादेश को घटाकर केवल 7 वर्ष किया जाता है। विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा अधिरोपित जुर्माने के दंडादेश की भी पुष्टि की जाती है। अपीलार्थी कारावास के शेष दंडादेश, यदि कोई हो, को भुगतने के लिए तत्काल विचारण न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करेगा।

सही/-
आर.एस. शर्मा
न्यायाधीश

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated by : Ashwani Shukla, Advocate